Supplement—II Regd. No. CHD/0093/2015-2017

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 42-2016] CHANDIGARH, TUESDAY, OCTOBER 18, 2016 (ASVINA 26, 1938 SAKA)

General Review

समीक्षा

महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा की वर्ष 2014–15 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा।

संख्या 28123/RO/WCD/2016.— महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा द्वारा, राज्य व केन्द्रीय स्तर पर महिला एवं बाल विकास की अनेक योजनाएं सीधे तौर पर तथा हरियाणा महिला विकास निगम, हरियाणा राज्य समाज कल्याण बोर्ड, हरियाणा राज्य महिला आयोग, हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता देकर लागू की गई।

बजट

वर्ष 2014–15 का विभिन्न योजनाओं एवं शीर्षों के अन्तर्गत मूल बजट 1057.24 करोड़ रुपये था और संशोधित बजट 1014.15 करोड़ रुपये रखा गया। विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों पर 754.49 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई जिसमें 238.05 करोड़ रुपये की राशि स्टेट प्लान, 313.36 करोड़ रुपये सैन्ट्रल प्लान तथा 203.08 करोड़ रुपये नॉन प्लान शीर्षों के अन्तर्गत थी।

योजनाएं एवं कार्यक्रम

वर्ष 2014–15 के दौरान महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण, विकास, प्रगति एवं सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम, योजनाएं एवं गतिविधियां लागू की गई :–

1. घटते लिंगानुपात की समस्या को कम करने तथा लड़की के प्रति समाज की सोच को बदलने के लिए आपकी बेटी हमारी बेटी योजना 22.01.2015 से लागू की गई।

2. लड़कियों के जन्म के प्रति सकारात्मक, शिक्षा और पोषण देने के लिये सामाजिक सोच में परिर्वतन हेतू **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ** कार्यक्रम का शुभारम्भ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 22.01.2015 को पानीपत में किया गया।

3. समेकित **बाल विकास सेवायें योजना** जोकि बाल विकास की सबसे बड़ी योजना है, राज्य में 21 शहरी खण्डों सहित 148 खण्डों मे लागू रही, जिसके अन्तर्गत 25905 आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 11.00 लाख 6 मास से 6 वर्ष तक आयु के बच्चों एवं 3.17 लाख गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पौषाहार एवं अन्य सेवाएं समेकित रूप से प्रदान की गई।

समेकित बाल विकास सेवांए योजना को चरणबद्ध तरीके से सुदृढ़ तथा पुनर्गठन किया गया, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम प्रबन्धन तथा संस्थागत सुधार, नार्मज में बदलाव तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना में आई.सी.डी.एस. योजना को मिशन मोड़ में लागू करना शामिल है। वर्ष 2014–15 के दौरान 9 जिलों नामतः फरीदाबाद, कैथल, गुड़गांव, पानीपत, यमुनानगर, नारनौल, भिवानी, रेवाड़ी व रोहतक का चयन प्रथम चरण में किया गया।

पूरक पौषाहार कार्यक्रम के तहत अनाज की खरीद सस्ती दरों पर भारत सरकार के Wheat Based Nutrition Programme (WBNP) के तहत की गई। यह अनाज़ आंगनवाड़ी केन्द्रों में हैफेड तथा कॉनफैड के माध्यम से सप्लाई किए गए। आकर्षक रैस्पीज़ जैसा कि आलू–पूरी, भरवां पराठा तथा मीठे चावल लाभपात्रों को दिए गए।

आई.सी.डी.एस. योजना के कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 449.29 लाख रुपये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों तथा एक मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र को जारी किए गये।

आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवनों के निर्माण की योजना लागू रही, जिसके अन्तर्गत पंचायती राज विभाग द्वारा 598 आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए कुल 51.41 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

4. **समेकित बाल संरक्षण योजना** के तहत जरूरतमंद बच्चों की देखभाल, कल्याण, संरक्षण तथा कानून का उल्लघंन करने वाले बच्चों को कवर किया गया। यह कार्यक्रम हरियाणा राज्य बाल संरक्षण सोसायटी तथा राज्य परियोजना सहयोग ईकाई के माध्यम से लागू है। जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया है।

बाल अधिकार संरक्षण नियम, 2005 की धारा 17(1) के तहत **हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग** कार्यरत रहा।

5. प्रोत्साहन आधारित योजना **''लाडली''** के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में 5879.71 लाख रुपये की राशि व्यय की गई तथा 116922 परिवारों/बालिकाओं को लाभ प्रदान किया गया। जिसमें गत वर्षों 2010–11 से 2013–14 तक के लाभपात्र भी शामिल थे।

6. **घटते लिंग अनुपात में सुधार हेतु प्रोहत्साहन पुरस्कार** के अंतर्गत 4.00 लाख रुपये की राशि का प्रथम पुरस्कार जिला पानीपत को, 2.00 लाख रुपये का द्वितीय पुरस्कार जिला जीन्द व रोहतक को तथा 2.00 लाख रुपये का तृतीय पुरस्कार जिला सोनीपत को दिया गया।

7. बच्चों, विशेषकर लड़कियों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने हेतू उनके भली–भांति पालन–पोषण के प्रति माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए **'सर्वोत्तम माता पुरस्कार'** योजना लागू की गई। वर्ष 2014–15 में योजना के अन्तर्गत 27.35 लाख रुपये की राशि व्यय कर कुल 3492 माताओं को पुरस्कार दिये गए।

8. किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए 87 आई. सी. डी. एस. प्रोजैक्टों में **किशोरी शक्ति योजना** चलाई गई एवं 61924 बालिकाओं को पूरक पौषाहार एवं 61908 बालिकाओं को विभिन्न विषयों पर जीवन विकास निपुणताओं पर प्रशिक्षण देने पर 342.04 लाख रुपये की राशि व्यय की गई।

9. **किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (सबला)** राज्य के छः जिलों अम्बाला, हिसार, रिवाड़ी, रोहतक, यमुनानगर तथा कैथल में लागू की गई तथा 150065 बालिकाओं को पूरक पौषाहार का लाभ दिया गया।

10. **वार्षिक खेल प्रतियोगिता योजना** के अन्तर्गत ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण एवं विश्वास निर्माण हेतु खण्ड स्तर पर ग्रामीण महिलाओं को खेल एवं मनोरंजन के अवसर उपलब्ध करवाये गए। 41.06 लाख रुपये की राशि आई०सी०डी०एस० योजना के अन्तर्गत व्यय की गई तथा 3060 महिलाओं को पुरस्कार दिये गये।

11. **घरेलू हिंसा के विरुद्ध सुरक्षा अधिनियम, 2005** तथा **बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006** के अर्न्तगत राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारियो द्वारा घरेलू हिंसा से सम्बन्धित 7300 शिकायत दर्ज करवाई गई तथा 145 बाल विवाह रूकवाये गये ।

12. महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए **हरियाणा महिला विकास निगम** महिलाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं स्व–रोजगार हेतु संस्थागत वित प्रबन्धन करता है।

13. राज्य में **हरियाणा राज्य महिला आयोग** कार्यरत रहा। आयोग द्वारा अत्याचारों से पीड़ित महिलाओं के कष्टों के निवारण के लिए कदम उठाए गये। 2014–15 में राज्य सरकार द्वारा आयोग को 60.00 लाख रुपये की राशि जारी की गई।

14. महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक तथा महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न सामाजिक कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने हेतू माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में **राज्य मिशन आथोरिटी** कार्यरत रहा।

15. वर्ष के दौरान **हरियाणा राज्य समाज कल्याण बोर्ड** को मुख्यालय स्थापना तथा चैयरमैन के भत्तों आदि के व्यय के लिए 60.00 लाख रुपये का सहायक अनुदान जारी किया गया।

16. आंगनवाड़ी केन्द्रों की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी के लिए परिणाम ढांचा दस्तावेज (आर.एफ.डी.) लागू किया गया।

शशि गुलाटी,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
महिला एवं बाल विकास विभाग।

चण्डीगढ़:
दिनांक 20 जुलाई, 2016.

REVIEW

Review of the Annual Administrative Report of Women & Child Development Department, Haryana for the year 2014-15.

No. 28123/RO/WCD/2016.— Various schemes for women & child development implemented directly by the Women & Child Development Department, Haryana under State and Central sectors and through Haryana Women Development Corporation, Haryana State Social Welfare Board and Haryana State Commission for Women, Haryana State Commission for Protection of Child Right and NGOs by providing financial assistance.

BUDGET

Originally, a budget allotment of Rs. 1057.24 crore was made in the year 2014-15 under various schemes and heads, which was revised to Rs. 1114.15 crore. Expenditure of Rs. 754.49 crore incurred under different schemes and activities, out of which Rs. 238.05 crore were under State Plan, Rs. 313.36 crore under Central Plan and Rs. 203.08 crore under Non Plan heads.

Schemes and Programmes

The following programmes, schemes and activities implemented during the year 2014-15 for the welfare, development, progress and empowerment of women and children:

1. In order to curb the problem of declining sex ratio a scheme named Apki Beti Hamari Beti was launched on 22-01-2015.

2. **Beti Bachao Beti Padhao Programme** was launched by Hon'ble Prime Minister on 22-01-2015 at Panipat to prevent gender **biasd** sex selective elimination, ensure survival, education & participation of the girl children in 12 district of the State.

3. **'Integrated Child Development Services Scheme'** is the biggest scheme of child development it, was implemented in 148 projects including 21 urban projects under this scheme, 11.00 lacs children between 6 months to 6 years of age and 3.17 lacs pregnant and nursing mothers, were provided supplementary nutrition and other services through 25962 Anganwadi Centers.

ICDS Scheme was strengthened and restructured in phased manner through a series of programmatic management and institutional reforms, changes in norms, including putting ICDS in a Mission mode for implementation in the 12th Five Year Plan. 9 districts namely Faridabad, Kaithal, Gurgaon, Panipat, Yamunanagar, Narnaul, Bhiwani, Rewari & Rohtak is selected in the first phase during the year 2014-15.

Procurement of foodgrains under Supplementary Nutrition Programme was made by Govt. of India under Wheat Based Nutrition Programme at subsidized rates. These foodgrains were supplied to the Anganwadi Centers through CONFED and HAFED. Attractive recipes like Alloo-Puri, Stuffed Parantha and Meethe Chawal were given to the beneficiaries.

Under **Training Programme for ICDS functionaries**, a sum of Rs 449.29 lacs was released to Anganwadi Workers Training Centers and one Middle Level Training Centre.

The scheme of Construction of Anganwadi Centers was implemented under which a sum of Rs. 51.41 Lakh was released for the construction of 598 Anganwadi Centers by Panchayati Raj Department.

4. **Integrated Child Protection Scheme** implemented under which various scheme for children in need of Care and Protection and for juveniles in conflict with law were covered. This programme was implemented through Haryana State Child Protection Society and State Project Support Unit. District Child Protection Society (DCPS) were constituted under the Chairmanship of Deputy Commissioner.

Haryana State Commission for Protection of Child Rights is functioning in the State in accordance to Section-17 (1) of Commission of Protection Rights of Child Act, 2005.

5. Under the incentive based scheme **'Ladli**' a sum of Rs. 5879.71 lacs were spent during the year 2014-15 and 116922 families/girls benefited including beneficiaries of previous year from 2010-11 to 2013-2014.

6. **Incentive Awards for improvement in Sex Ratio** @ of Rs. 4.00 lacs given to district Panipat for 1st position, Rs. 2.00 lac each to Jind & Rohtak for 2nd position and Rs. 2.00 lac to district Sonepat for 3rd position.

7. To encourage women for proper rearing of their children, especially the girl child, with a view to improve their nutritional and health status, the scheme of **'Best Mother Award'** was implemented. During the year 2014-15, a sum of Rs. 27.35 lacs was spent and 3492 mothers were given awards.

8. **'Kishori Shakti Yojna'** was implemented in 87 ICDS projects to improve health and nutritional status of adolescent girls and a sum of Rs. 342.04 lacs was spent for providing supplementary nutrition to 61924 girls and training to 61908 girls respectively.

9. **Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment for Adolescent Girls (SABLA**) implemented in six districts i.e Ambala, Hissar, Rewari, Rohtak, Yamunanagar and Kaithal, 150065 girls were provided Supplementary Nutrition Programme (SNP) under this scheme.

10. Under the scheme of **'Annual Sports Meet for Rural Women'**, opportunities of sports and recreations was provided to rural women for their empowerment and capacity building at block level. A sum of Rs. 41.06 lacs were spent under ICDS scheme and 3060 prizes were given to the women.

11. Under the **'Protection of Women from Domestic Violence Act - 2005' and "Prohibition of Child Marriage Act – 2006",** Protection Cum Child Marriage Prohibition Officers has registered 7300 complaints for aggrieved women and 145 child marriages stopped.

12. **'Haryana Women Development Corporation'** arranges institutional finance for vocational training and self employment of women to ameliorate the socio-economic conditions of women.

13. **'Haryana State Commission for Women** is functioning in the State. Steps have been taken by the commission to redress the grievances of women suffering from atrocities. During the year 2014-15, a sum of Rs. 60.00 lacs was released to the Commission by the State Government.

14. **State Mission Authority (SMA)** functioning in the state for empowering the women socially, economically and educationally as well as effective implantation of various social laws concerning the women under the Chairmanship of Chief Minister Haryana.

15. During the year, grant-in-aid worth Rs.60.00 lacs was released to the **'Haryana State Social Welfare Board'** for headquarter establishment expenditure and Chairman's allowances etc.

16. Result Frame Work Document (RFD) was prepared to monitor important indicator of various activities of AWC's .

SHASHI GULATI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Women & Child Development Department.

Chandigarh:
The 20th July, 2016.

समीक्षा

महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा की वर्ष 2015–16 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा।

संख्या 28123/RO/WCD/2016.— महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा द्वारा राज्य व केन्द्रीय स्तर पर महिला एवं बाल विकास की अनेक योजनाएं सीधे तौर पर तथा हरियाणा महिला विकास निगम, हरियाणा राज्य समाज कल्याण बोर्ड, हरियाणा राज्य महिला आयोग, हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता देकर लागू की गई।

बजट

वर्ष 2015–16 का विभिन्न योजनाओं एवं शीर्षों के अन्तर्गत मूल बजट 1195.73 करोड़ रुपये था और संशोधित बजट 995.72 करोड़ रुपये रखा गया। विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों पर 766.35 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई जिसमें 318. 73 करोड़ रुपये की राशि स्टेट प्लान, 233.04 करोड़ रुपये सैन्ट्रल प्लान तथा 214.58 करोड़ रुपये नान प्लान शीर्षों के अन्तर्गत थी।

योजनाएं एवं कार्यक्रम

वर्ष 2015–16 के दौरान महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण, विकास, प्रगति एवं सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम, योजनाएं एवं गतिविधियां लागू की गई :–

1. लड़कियों के जन्म के प्रति सकारात्मक, शिक्षा और पोषण देने के लिये सामाजिक सोच में परिर्वतन हेतू **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ** कार्यक्रम का शुभारम्भ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 22.01.2015 को पानीपत में राज्य के 12 जिलों – महेन्द्रगढ़, झज्जर, रेवाड़ी, सोनीपत, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, रोहतक, करनाल, यमुनानगर, कैथल, भिवानी व पानीपत में लागू किया गया। भारत सरकार द्वारा अब यह कार्यक्रम राज्य के 8 जिलों– फरीदाबाद, फतेहबाद, गुड़गांव, हिसार, जीन्द, पलवल, पंचकूला व सिरसा में लागू करने का निर्णय लिया गया है।

2. आपकी बेटी हमारी बेटी

घटते लिंगानुपात की समस्या को कम करने तथा लड़की के जन्म के प्रति समाज की सोच को बदलने के लिये नई योजना आपकी बेटी हमारी बेटी लागू की गई। योजना के अन्तर्गत 18900 बालिकाओं को लाभ दिया गया।

3. हरियाणा कन्या कोष

बालिकाओं तथा महिलाओं के कल्याण व उन्नति के लिये हरियाणा कन्या कोष का गठन किया गया । हरियाणा कन्या कोष का बैंक खाता खोला जा चुका है जिसमें 56.00 लाख रुपये की राशि जमा हो चुकी है।

4. समेकित बाल विकास सेवायें योजना जोकि बाल विकास की सबसे बड़ी योजना है, राज्य में 21 शहरी खण्डों सहित 148 खण्डों मे लागू रही, जिसके अन्तर्गत 25962 आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 9.97 लाख 6 मास से 6 वर्ष तक आयु के बच्चों एवं 2.88 लाख गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पौषाहार एवं अन्य सेवाएं समेकित रूप से प्रदान की गई।

समेकित बाल विकास सेवाएं योजना को चरणबद्ध तरीके से सुदृढ़ तथा पुनर्गठन किया गया, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम प्रबन्धन तथा संस्थागत सुधार, नार्मज में बदलाव तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना में आई.सी.डी.एस. योजना को मिशन मोड़ में लागू करना शामिल है। वर्ष 2015–16 के दौरान 9 जिलों नामतः फरीदाबाद, कैथल, गुड़गांव, पानीपत, यमुनानगर, नारनौल, भिवानी, रेवाड़ी व रोहतक का चयन प्रथम चरण में किया गया।

पूरक पौषाहार कार्यक्रम के तहत अनाज की खरीद सस्ती दरों पर भारत सरकार के Wheat Based Nutrition Programme (WBNP) के तहत की गई। यह अनाज़ आंगनवाड़ी केन्द्रों में हैफेड़ तथा कॉनफैड के माध्यम से सप्लाई किए गए। आकर्षक रैस्पीज़ जैसा कि आलू–पूरी, भरवां पराठा तथा मीठे चावल लाभपात्रों को दिए गए।

आई.सी.डी.एस. योजना के कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 126.38 लाख रुपये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों तथा एक मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र को जारी किए गये।

आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवनों के निर्माण की योजना लागू रही, जिसके अन्तर्गत पंचायती राज विभाग द्वारा 1356 आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए कुल 142.68 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

5. समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत जरूरतमंद बच्चों की देखभाल, कल्याण, संरक्षण तथा कानून समिति का उल्लघंन करने वाले बच्चों को कवर किया गया। यह कार्यक्रम हरियाणा राज्य बाल संरक्षण सोसायटी तथा राज्य परियोजना सहयोग ईकाई के माध्यम से लागू है। जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण का गठन किया गया है।

बाल अधिकार संरक्षण नियम 2005 की धारा 17(1) के तहत **हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग** कार्यरत रहा।

6. घटते लिंग अनुपात में सुधार हेतु प्रोहत्साहन पुरस्कार के अंतर्गत 5.00 लाख रुपये की राशि का प्रथम पुरस्कार जिला नारनौल को, 3.00 लाख रुपये का द्वितीय पुरस्कार जिला भिवानी तथा 2.00 लाख रुपये का तृतीय पुरस्कार जिला झज्जर को दिया गया।

7. बच्चों, विशेषकर लड़कियों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने हेतू उनके भली–भांति पालन–पोषण के प्रति माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए **'सर्वोत्तम माता पुरस्कार'** योजना लागू की गई। वर्ष 2015–16 में योजना के अन्तर्गत 27.35 लाख रुपये की राशि व्यय कर कुल 3492 माताओं को पुरस्कार दिये गए।

8. किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए 87 आई.सी.डी.एस. प्रोजैक्टों में **किशोरी शक्ति योजना** चलाई गई एवं 60920 बालिकाओं को पूरक पौषाहार एवं 61566 बालिकाओं को विभिन्न विषयों पर जीवन विकास निपुणताओं पर प्रशिक्षण देने पर 406.65 लाख रुपये की राशि व्यय की गई।

9. **किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (सबला)** राज्य के छः जिलों अम्बाला, हिसार, रिवाड़ी, रोहतक, यमुनानगर तथा कैथल में लागू की गई तथा 161660 बालिकाओं को पूरक पौषाहार का लाभ दिया गया।

10. **वार्षिक खेल प्रतियोगिता योजना** के अन्तर्गत ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण एवं विश्वास निर्माण हेतू खण्ड स्तर पर ग्रामीण महिलाओं को खेल एवं मनोरंजन के अवसर उपलब्ध करवाये गए। 41.06 लाख रुपये की राशि आई०सी०डी०एस० योजना के अन्तर्गत व्यय की गई तथा 3060 महिलाओं को पुरस्कार दिये गये।

11. **घरेलू हिंसा के विरुद्ध सुरक्षा अधिनियम, 2005** तथा **बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006** के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारियो द्वारा घरेलू हिंसा से सम्बन्धित 7393 शिकायत दर्ज करवाई गई तथा 210 बाल विवाह रूकवाये गये ।

12. महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए **हरियाणा महिला विकास निगम** महिलाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं स्व–रोजगार हेतू संस्थागत वित प्रबन्धन करता है।

13. राज्य में **हरियाणा राज्य महिला आयोग** कार्यरत रहा। आयोग द्वारा अत्याचारों से पीड़ित महिलाओं के कष्टों के निवारण के लिए कदम उठाए गये। 2015–16 में राज्य सरकार द्वारा आयोग को 300.00 लाख रुपये की राशि जारी की गई।

14. वर्ष के दौरान **हरियाणा राज्य समाज कल्याण बोर्ड** को मुख्यालय स्थापना तथा चैयरमैन के भत्तों आदि के व्यय के लिए 53.00 लाख रुपये का सहायक अनुदान जारी किया गया।

अनिल मलिक,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
महिला एवं बाल विकास विभाग।

चण्डीगढ़:
दिनांक 27 जून, 2016.

REVIEW

Review of the Annual Administrative Report of Women & Child Development Department, Haryana for the year 2015-16.

No. 28123/RO/WCD/2016.— Various schemes for women & child development implemented directly by the Women & Child Development Department, Haryana under State and Central sectors and through Haryana Women Development Corporation, Haryana State Social Welfare Board and Haryana State Commission for Women, Haryana State Commission for Protection of Child Right and NGOs by providing financial assistance.

BUDGET

Originally, a budget allotment of Rs. 1195.73 crore was made in the year 2015-16 under various schemes and heads, which was revised to Rs. 995.72 crore. Expenditure of Rs. 766.35 crore incurred under different schemes and activities, out of which Rs. 318.73 crore were under State Plan, Rs. 233.04 crore under Central Plan and Rs. 214.58 crore under Non Plan heads.

Schemes and Programmes

The following programmes, schemes and activities implemented during the year 2015-16 for the welfare, development, progress and empowerment of women and children:

1. **Beti Bachao Beti Padhao Programme** was launched by Hon'ble Prime Minister on 22-01-2015 at Panipat to prevent gender biasd sex selective elimination, ensure survival, education & participation of the girl children in 12 districts namely Mahindergarh, Jhajjar, Rewari, Sonepat, Ambala, Kurukshetra, Rohtak, Karnal, Y. Nagar, Kaithal, Bhiwani & Panipat of the State. Govt. of India has further decided to implement the programme in 8 districts i.e. Faridabad, Fatehabad, Gurgaon, Hisar, Jind, Palwal, Panchkula and Sirsa.

2. **Aapki Beti Hamari Beti**

In order to curb the problem of declining sex ratio and to change the mindset of community towards girl's child, State Govt. has implemented a new scheme Aapki Beti Hamari Beti. Under the scheme 18900 girls have been benefited.

3. **Haryana Kanya Kosh**

For the welfare and development of girls and women of Haryana, Haryana Kanya Kosh has been constituted. A sum of Rs. 56.00 lacs has been deposited under Haryana Kanya Kosh and a bank account has been opened.

4. **'Integrated Child Development Services Scheme'** is the biggest scheme of child development was implemented in 148 projects including 21 urban projects. Under this scheme, 9.97 lacs children between 6 months to 6 years of age and 2.88 lacs pregnant and nursing mothers, were provided supplementary nutrition and other services through 25962 Anganwadi Centers.

ICDS Scheme was strengthened and restructured in phased manner through a series of programmatic management and institutional reforms, changes in norms, including putting ICDS in a Mission mode for implementation in the 12th Five Year Plan in all the districts of Haryana.

Procurement of foodgrains under Supplementary Nutrition Programme was made by Govt. of India under Wheat Based Nutrition Programme at subsidized rates. These foodgrains were supplied to the Anganwadi Centers through CONFED and HAFED. Attractive recipes like Alloo-Puri, Stuffed Parantha and Meethe Chawal were given to the beneficiaries.

Under **Training Programme for ICDS functionaries**, a sum of Rs. 126.36 lacs was released to Anganwadi Workers Training Centers and one Middle Level Training Centre.

The scheme of Construction of Anganwadi Centers was implemented under which a sum of Rs. 142.67 crore was released for the construction of 1356 Anganwadi Centers by Panchayati Raj Department.

5. **Integrated Child Protection Scheme** implemented under which various scheme for children in need of Care and Protection and for juveniles in conflict with law were covered. This programme was implemented through Haryana State Child Protection Society and State Project Support Unit. District Child Protection Society (DCPS) were constituted under the Chairmanship of Deputy Commissioner.

Haryana State Commission for Protection of Child Rights is functioning in the State in accordance to Section-17 (1) of Commission of Protection Rights of Child Act, 2005.

6. **Incentive Awards for improvement in Sex Ratio** @ of Rs. 5.00 lacs given to district Narnaul for 1st position, Rs. 3.00 lac each to Bhiwani for 2nd position and Rs. 2.00 lac to district Jhajjar for 3rd position.

7. To encourage women for proper rearing of their children, especially the girl child, with a view to improve their nutritional and health status, the scheme of **'Best Mother Award'** was implemented. During the year 2015-16, a sum of Rs. 27.35 lacs was spent and 3492 mothers were given awards.

8. **'Kishori Shakti Yojna'** was implemented in 87 ICDS projects to improve health and nutritional status of adolescent girls and a sum of Rs. 406.65 lacs was spent for providing supplementary nutrition to 60920 girls and training to 61566 girls respectively.

9. **Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment for Adolescent Girls (SABLA)** implemented in six districts i.e Ambala, Hissar, Rewari, Rohtak, Yamunanagar and Kaithal, 161660 girls were provided Supplementary Nutrition Programme (SNP) under this scheme.

10. Under the scheme of **'Annual Sports Meet for Rural Women'**, opportunities of sports and recreations was provided to rural women for their empowerment and capacity building at block level. A sum of Rs. 41.06 lacs were spent under ICDS scheme and 3060 prizes were given to the women.

11. Under the **'Protection of Women from Domestic Violence Act - 2005' and "Prohibition of Child Marriage Act – 2006",** Protection Cum Child Marriage Prohibition Officers has registered 7393 complaints for aggrieved women and 210 child marriages stopped.

12. **'Haryana Women Development Corporation'** arranges institutional finance for vocational training and self employment of women to ameliorate the socio-economic conditions of women.

13. **'Haryana State Commission for Women,** is functioning in the State. Steps have been taken by the commission to redress the grievances of women suffering from atrocities. During the year 2015-16, a sum of Rs. 300.00 lacs was released to the Commission by the State Government.

14. During the year, grant-in-aid worth Rs.53.00 lacs was released to the **'Haryana State Social Welfare Board'** for headquarter establishment expenditure and Chairman's allowances etc.

ANIL MALIK,
Principal Secretary to Government Haryana,
Women & Child Development Department.

Chandigarh:
The 27th June, 2016.

54681—C.S.—H.G.P., Chd.